

FP/UP/Approach/44699/2020

भाग 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के :

लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफरिशें।

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा जम वन संरक्षक :

की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और

विवेचात्मक टिप्पणी दी जाए)।

cf. 31.01.22
.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

तिथि :-

9/2/22

स्थान:-

हस्ताक्षर:-
Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

नाम:-

सरकारी मोहर:-